Reader

301

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 79 / 2024 राजस्व वाद

1. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री अलाबक्ष छीपा मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी– राजाजी का करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. फरीद मोहम्मद पुत्र श्री अलाबक्ष छीपा मुसलमान आयु 56 वर्ष निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी– बैरवा मौहल्ला, गुलमण्डी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादपत्र घौषणा

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन
2. पेरोकार सरकार

——अधिवक्ता वादी

—— प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक– 08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घौषणा का अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थायी घोषणा, इन्द्राज दूरुस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3095 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3096 रकबा 0.6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3097 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3098 रकबा 0.5438 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3099 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3101 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3102 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3103 रकबा 0.8979 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 2.7315 हैक्टयर (10 बीघा 16 बिस्वा) भूमि स्थित है , जो राजस्व रेकार्ड मे अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी– राजाजी का करेडा के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादीगण जो कि अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी– राजाजी का करेडा के पुत्र है, अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी– राजाजी का करेड़ा ने वादीगण की सेवा चाकरी की से प्रसन्न होकर वादपत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात व अन्य अपनी समस्त चल अचल सम्पति वादीगण को वसीयत की व वादीगण के पक्ष मे दिनांक 15 पन्द्रह जून 2020 दो हजार बीस को एक वसीयत नामा निष्पादित कर उपपंजीयक, करेड़ा जिला भीलवाडा के यहां पंजीयन कराया गया। अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी– राजाजी का करेडा का दिनांक 20 बीस

Reader

301

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 79 / 2024 राजस्व वाद

1. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री अलाबक्ष छीपा मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी— राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
2. फरीद मोहम्मद पुत्र श्री अलाबक्ष छीपा मुसलमान आयु 56 वर्ष निवासी— राजाजी का करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी— बैरवा मौहल्ला, गुलमण्डी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र घोषणा

उपस्थित :—
1. श्री मुकेश कुमार जैन —–अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार —– प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक— 08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घोषणा का अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थायी घोषणा, इन्द्राज दूरुस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3095 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3096 रकबा 0.6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3097 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3098 रकबा 0.5438 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3099 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3101 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3102 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3103 रकबा 0.8979 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 2.7315 हैक्टयर (10 बीघा 16 बिस्वा) भूमि स्थित है , जो राजस्व रेकार्ड मे अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी— राजाजी का करेड़ा के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादीगण जो कि अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी— राजाजी का करेडा के पुत्र है, अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी— राजाजी का करेड़ा ने वादीगण की सेवा चाकरी की से प्रसन्न होकर वादपत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात व अन्य अपनी समस्त चल अचल सम्पति वादीगण को वसीयत की व वादीगण के पक्ष मे दिनांक 15 पन्द्रह जून 2020 दो हजार बीस को एक वसीयत नामा निष्पादित कर उपपंजीयक, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के यहां पंजीयन कराया गया। अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी— राजाजी का करेडा का दिनांक 20 बीस

श्री

सितम्बर 2020 दो हजार बीस को देहान्त हो गया है व अलाबक्ष जी के देहान्त उपरान्त वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व अन्य सम्पति पर भी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी— राजाजी का करेड़ा की मृत्यु उपरान्त कई बार पटवार हल्का के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन हर बार टालमटोल करते रहे एवं दिनांक 01 एक अप्रेल 2024 दो हजार तैरह को प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात को वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा साफ तौर इंकार कर दिया। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात का अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी— राजाजी का करेड़ा द्वारा वादीगण के पक्ष मे निष्पादित वसीयत नामा दिनांकित 15 पन्द्रह जून 2020 दो हजार बीस के आधार पर वादीगण उक्त आराजियात का एक मात्र मालिक है तथा राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजियात को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है, तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बंद किया गया। वादी द्वारा वादी द्वारा प्रकरण मे जमाबंदी की नकले, व दस्तावेजात प्रतिया पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जो कि खातेदार अलाबक्ष वल्द अहमद छीपा मुसलमान निवासी— राजाजी का करेड़ा द्वारा वादीगण को रजिस्टर्ड वसीयत के जरिये वसीयत की है व अलाबक्ष जी का देहान्त हो जाने से उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात जो कि खातेदार अलाबक्ष पुत्र श्री अहमद छीपा द्वारा वादीगण को अपनी स्वच्छ चित हालत मे रजिस्टर्ड वसीयत के जरिये वसीयत की है व खातेदार अलाबक्ष का देहान्त हो चुका है, जिससे रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादीगण मालिक है। इस कारण से खातेदार अलाबक्ष पुत्र श्री अहमद छीपा का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3095 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3096 रकबा 0.6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3097 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3098 रकबा 0.5438 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3099 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3101 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3102 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3103 रकबा 0.8979 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 2.7315 हैक्टयर (10 बीघा 16 बिस्वा) भूमि के खाते से खातेदार अलाबक्ष पुत्र श्री अहमद छीपा का नाम विलोपित किया जाकर उनकी जगह वादीगण को

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

615/25

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 79 / 2024 राजस्व वाद

1. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री अलाबक्ष छीपा मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. फरीद मोहम्मद पुत्र श्री अलाबक्ष छीपा मुसलमान आयु 56 वर्ष निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी– बैरवा मौहल्ला, गुलमण्डी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) —— प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादपत्र घौषणा

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3095 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3096 रकबा 0.6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3097 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3098 रकबा 0.5438 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3099 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3101 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3102 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3103 रकबा 0.8979 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 2.7315 हैक्टयर (10 बीघा 16 बिस्वा) भूमि के खाते से खातेदार अलाबक्ष पुत्र श्री अहमद छीपा का नाम विलोपित किया जाकर उनकी जगह वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)